Quest Journals
Journal of Research in Humanities and Social Science
Volume 11 ~ Issue 9 (2023) pp: 348-350
ISSN(Online):2321-9467
www.questjournals.org

Research Paper

बिहार में भूमि अधिग्रहण के विभिन्न चरणः एक ऐतिहासिक अध्ययन

अविनाश रंजन
शोध छात्र, इतिहास विभाग, बी. एन. एम. यू., मधेपुरा, बिहार

सार

ब्रिटिश सम्राट अक्सर किसानों की भूमि की रक्षा करने और बंदोबस्त के क्षण तक उनके किराए को ठीक करने की आवश्यकता पर जोर देते थे। अभी भी कुछ नहीं किया गया था। ब्रिटिश राजाओं ने महसूस किया कि जमींदारों के साथ अच्छा व्यवहार करने से, वे अपनी प्रजा को पीड़ा नहीं देंगे बल्कि समृद्ध और संतुष्ट रहेंगे। फलस्वरूप प्रजा भी सन्तुष्ट होगी। परंतु यह उनकी महान भूल थी क्योंकि जमींदारों ने हमेशा ही अपने कर्तव्य के साथ विश्वासघात किया। अतः अंग्रेज शासक यह महसूस करने लगे कि इस भूल का सुधार किया जाए। फलस्वरूप उन्होंने कृषकों की दशा सुधारने के लिए भूमि संबंधी विधानों की व्यवस्था की। यह कदम जमींदारी प्रथा के अस्त की दिशा में प्रथम चरण कहा जा सकता है।

विस्तार

प्रथम चरण में, जो सन् 1859 ई0 से 1929 ई0 तक रहा, जो कानून बने उनसे जमींदारों के लगान बढ़ाने के अधिकारों पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए और उच्च श्रेणी के कृषकों को लाभ भी हुए। किंतु इन कानूनों का मुख्य उद्देश्य जमींदारों को लगान वसूल करने में सहूलियत देने का था जिससे वे राज्य को राजस्व ठीक समय पर दे सकें। सन् 1859 ई0 में भूमि संबंधी पहला अधिनियम पास हुआ। यह अधिनियम समस्त ब्रिटिश भारत के लिये एक आदर्श भूमि–अधिनियम था जिसके अनुरूप अधिनियम भारत के सभी भागों में पास हुए और समय समय पर उनमें संशोधन भी किए गए ताकि असंतुष्ट कृषकों को शांत किया जा सके। किंतु जमींदार फिर भी कृषकों को अपने न्यायपूर्ण तथा अन्यायपूर्ण करों को वसूलने के लिये निचोड़ते रहे जिससे किसानों में घोर असंतोष तथा बेचैनी फैलेने लगी।

जमींदारी प्रथा के अस्त के क्रम में दूसरा चरण सन् 1930 ई0 से 1944 ई0 तक रहा। इस समय में सारे देश में किसान आंदोलन होने लगे। इन आंदोलनों का बीज एक किसान सभा ने बोया था जो अखिल भारतीय कांग्रेस की इलाहाबाद बैठक में तारीख 11 फ़रवरी सन् 1918 ई0 को हुई थी। तत्पश्चात् कांग्रेस किसानों के हितों को आगे बढ़ाने लगी। परिणाम स्वरूप ग्रामीण जनता में काफी जाग्रति पैदा हो गई। पं0 जवाहरलाल ने यू0 पी0 कांग्रेस कमेटी में तारीख 27 अक्टूबर 1928 को घोषणा की कि राजनीतिक स्वतंत्रता निरर्थक है जब तक किसानों को शोषण से मुक्ति न प्राप्त हो। शनैः शनैः किसानों की जागरूकता बढ़ी और साथ ही साथ उनकी व्याकुलता भी। किसान वर्ग अब अधिक मुखर हो गया और भूधृति की स्थिरता एवं लगान में कमी की मांग करने लगा। किसान आंदोलनों से प्रभावित होकर रैय्यतवाड़ीक्षेत्रों में नए अधिनियम बनाए गए जिनसे कृषकों के हितों की रक्षा हो सके। मलाबार टेनेंसी ऐक्ट (1930 ई) इस संबंध में सीमाचिन्ह है। इसके बाद भोपाल लैंड रेवेन्यू ऐक्ट, 1935 तथा आसाम टेनेंसी ऐक्ट 1935 पास हुए। गवर्नमेंट ऑव इंडिया ऐक्ट, 1935, के अर्न्तगत जब 'प्राविंशल आटोनोमी' का उद्घाटन हुआ तो प्रांतीय सरकारों ने भूमि सुधार अधिनियमों की व्यवस्था की जिनमें कृषकों को और अधिकार प्रदान किए गए तथा जमींदारों के अधिकारों की कटौती की गई। यू0 पी0 टेनेंसी ऐक्ट, 1939, तथा बंबई टेनेंसी ऐक्ट, 1939 विशिष्ट उदाहरण ऐसे व्यापक अधिनियमों के हैं जिनके द्वारा कृषकों को अधिकार दिए गए एवं कृषकों के हित में जमींदारों के कतिपय अधिकार छीन लिए गए। इन भूमि सुधार अधिनियमों के बनने पर भी जमींदारी प्रथा की बुराइयाँ विद्यमान रहीं, यद्यपि काफी हद तक जमींदारों को पंगु बना दिया गया था। इन जमींदारों को नेहरू जी 'ब्रिटिश सरकार की अतिलालित संतान (Spoilt Child) कहा करते थे। वे भूतकालीन सामंतवादी प्रथा के प्रतीक थे जो कि आधुनिक परिस्थितियों के बिल्कुल प्रतिकूल हो गई थी। इसलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कई बार इस बात की घोषणा की कि जमींदारी उन्मूलन को कांग्रेस के कार्यक्रम में प्रमुख स्थान देना चाहिए। एक किसान कांफ्रेंस तारीख 27,28 अप्रैल सन् 1935 ई0 को सरदार पटेल के सभापतित्व में इलाहाबाद में हुई थी। उसने जमींदारी उन्मूलन को प्रस्ताव पास करके इस ओर एक प्रमुख कदम उठाया इस प्रस्ताव में यह घोषणा की गई थी कि 'ग्रामकल्याण के दृष्टिकोण से वर्तमान जमींदारी प्रथा बिल्कुल विपरीत है। यह प्रथा ब्रिटिश शासन के आगमन में लाई गई और इससे ग्रामीण जीवन

पूर्णतया तहस नहस हो गया है'। परंतु सन् 1939 ई0 में द्वितीय विश्वयुद्ध शुरू हो जाने के कारण भूमि सुधार का सारा कार्यक्रम रूक गया। युद्ध की समाप्ति के बाद जमींदारी प्रथा के अंत का अंतिम चरण आरंभ हुआ जो सन् 1945 से 1955 तक चला। युद्ध समाप्त होते ही ब्रिटिश सरकार ने 1945 ई0 में 1935 ई0 के अंतर्गत प्रांतीय सदनों के चुनाव करने का फैसला किया। कांग्रेस ने चुनाव में भाग लेने का निश्चय किया और दिसंबर 1945 में चुनाव घोषणापत्र निकाला। इस घोषणा–पत्र में जमींदारी उन्मूलन के विषय में स्पष्टतया कहा गया कि 'भूमि व्यवस्था का सुधार, जिसकी भारत में अति आवश्यकता है, कृषकों तथा राज्यके बीच मध्यवर्ती वर्ग को हटाने से संबंधित है। इसलिए इस मध्यवर्ती वर्ग के अधिकारों का उचित प्रतिकर देकर प्राप्त कर लिया जाना चाहिए'। इस घोषणा पत्र से अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ तथा पत्रकार सभी सहमत थे। जमींदारी प्रथा भारतीय आर्थिक विकास में रूकावट डालती थी क्योंकि बड़े जमींदार हमेशा प्रतिक्रिया वाद के समर्थक थे। 'लंदन इकोनोमिस्ट' ने इनके विषय में लिखा था कि 'इनमें से अधिकतर 'थैकरसे' के पात्र 'लार्ड स्टीन' की तरह दुश्चरित्र, 'जेन आस्टीन' के 'मिस्टर बेनेट' की तरह आलसी, 'सुर्तीजस्क्वायर' की तरह शराबी थे (Indian land problem, G-D- Patel)। बंगाल लैंड कमीशन (सन् 1940 ई0) भी इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि 'सन् 1793 ई0 का स्थायी बंदोबस्त उस समय जिन भी कारणों से उचित समझा गया हो, आज की परिस्थिति में अनुपयुक्त है और जमींदारी प्रथा में इतनी बुराइयाँ उपज चुकी है कि यह अब राष्ट्र के हित में किसी भी प्रकार उपयोगी नहीं रह गई है।' भारतीय तथा पाश्चात्य अर्थवेत्ताओं की राय में जमींदारी उन्मूलन अधिक कृषि उत्पादन के लिए अत्यावश्यक है। इसके अतिरिक्त यह प्रथा संसार के हर भाग में समयानुकूल न होने के कारण समाप्त हो चुकी है। पुनश्च, यह प्रथा राज्य के लिये अधिक खर्चीली है। सर्वोपरि, यह प्रथा इस समय ऐसी स्थिति पर पहुँच चुकी थी कि यदि इसका उन्मूलन न किया गया होता तो इसके कारण ने केवल राष्ट्रीय आर्थिक समस्या पर ही वरन् समाज सुरक्षा पर भी विपत्ति आ पड़ती।

1946 के चुनावों की जीत के परिणामस्वरूप, जिसमें हर प्रांत में कांग्रेस मंत्रिमंडलों का गठन देखा गया, जमींदारी व्यवस्था को • खत्म करने के चुनावी वादे को लागू करने के उपाय पेश किए गए। 1950 और 1955 के बीच, जब ये कानून लागू हुए, भारत में जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया और राज्य और किसानों के बीच एक सीधा संबंध बहाल कर दिया गया। भूमि के स्वत्वाधिकार अब कृषकों को वापस मिल गए जिनका उपयोग वे अनादि परंपरागत काल से करते चले आए थे। इस प्रकार जिस जमींदारी प्रथा का उदय हमारे देश में अंग्रेजों के आगमन से हुआ था उसका अंत भी उनके शासन के समाप्त होते ही हो गया। इस प्रथा की समाप्ति पर किसी ने तनिक भी शोक प्रकट नहीं किया, क्योंकि इसका विनाश होते ही पुराने सिद्धांत की, जिसके अनुसार भूमि का स्वामी कृषक होता था, पुनरावृति हुई। ।

बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950ः प्रावधान और कार्यान्वयन

इस अधिनियम के माध्यम से बिहार सरकार ने जमींदारों और काश्तकारों के हितों (जमीन के साथ–साथ पेड़ों, जंगलों, मत्स्य पालन, बाजारों, खानों और खनिजों में) को कानूनी रूप से समाप्त कर दिया और इन हितों को राज्य में निहित कर दिया।

अधिनियम के कार्यान्वयन के पहले चरण (मई–सितंबर 1952) में केवल 155 जमींदार प्रभावित हुए थे। 'तेजी से कार्यान्वयन' की अनुमति देने के लिए अधिनियम को 1954 में बदल दिया गया था। व्यत्तिगत अधिसूचना के लिए मूल अधिनियम की आवश्यकता के विपरीत, सभी मध्यस्थों को एक सामान्य नोटिस के वितरण के लिए आवश्यक संशोधन। साथ ही, उन बिचौलियों के लिए दंड के उपाय शामिल किए गए जो सही अधिकारियों को अपनी संपत्ति से संबंधित दस्तावेज देने में विफल रहे। इसके अलावा, असहयोगी जमींदारों से निपटने के लिए जिला कलेक्टरों को अधिक अधिकार दिए गए थे।, जिन्होंने 1 जनवरी, 1946 के बाद किसी भी समय अपनी जोत पर बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की शर्तों से बचने के लिए सक्रिय कदम उठाए थे ताकि उनके हितों को हस्तांतरित या विभाजित किया जा सके और साथ ही किराए को घटाया या घटाया जा सके। बिचौलियों द्वारा कुछ हितों के प्रतिधरण के लिए विशिष्ट प्रावधान धारा 5, 6, और 7 में पाए जा सकते हैं। धारा 5 के अनुसार, एक मध्यस्थ को सभी संपत्तियों का स्वामित्व रखने और उन्हें राज्य के किरायेदारों के रूप में किराए से मुत्त रखने की अनुमति है या , यदि संपत्तियों का उपयोग मध्यस्थ द्वारा किराए पर देने के लिए किया जाता है, कलेक्टर द्वारा निर्धरित किए जाने वाले 'उचित और न्यायोचित किराए' के भुगतान के अधीन इस संदर्भ में 'घरेलू का अर्थ बिचौलिए द्वारा अपने घर के लिए या किसी संपत्ति को किराए पर देने के लिए उपयोग करना है,घर ... और इसमें कृषि से जुड़े उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले कोई भी बाहरी भवन शामिल हैं या बागवानी और किसी भी टैंक, पुस्तकालय, और ऐसे आवास गृह से संबंधित पूजा स्थलि"।

कृषि या बागवानी के लिए उपयोग की जाने वाली कोई भी भूमि जो राज्य के तहत रैयतों के पास है, भूमि के लिए 'उचित और समान किराए' के भुगतान पर धारा 6 के तहत एक मध्यस्थ के एकमात्र कब्जे में स्थानांतरित की जा सकती है। द्वितीयक अधिभोग के अधिकार। एकत्र करनेवाला। इस संदर्भ में कृषि जोत एक बिचौलिए द्वारा स्वयं अपने

*Corresponding Author: अविनाश रंजन

पशुओं या नौकरों, भाड़े के मजदूरों, या भाड़े के पशुओं का उपयोग करके • खेती की जाने वाली भूमि को संदर्भित करता है।

धारा 7 के अनुसार, एक मध्यवर्ती व्यवसाय, निर्माण, या वाणिज्य के लिए उपयोग की जाने वाली इमारतों या संरचनाओं के साथ–साथ अनाज भंडारण सुविधाओं, पशुओं के लिए • खलिहान, और अनाज पीसने के लिए उपयोग की जाने वाली मिलों का स्वामित्व जारी रख• सकता है। कृषि प्रयोजनों के लिए राज्य के एक किरायेदार के रूप में, आप एक 'उचित और न्यायसंगत भूमि किराया' देने के लिए बाध्य हैं जो कि कलेक्टर द्वारा तय किया जाएगा।

1957 में, बिहार के राजस्व विभाग ने अनुमान लगाया कि, जब बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 पारित किया गया था, तब बिहार में कम से कम 2,05,977 राजस्व देने वाली स्थायी रूप से बसी हुई सम्पदाएँ थीं। बाद में, भूमि सुधार कार्यान्वयन समिति ने सुझाव दिया कि इस अधिनियम से लगभग 4,74,000 मध्यस्थ प्रभावित हुए हैं। यह बिचौलियों द्वारा सम्पदा के तेजी से उप–विभाजन को दर्शाता है, जो कि संशोधित 1950 अधिनियम की शर्तों के तहत भूमि को जोड़ने के साधन के रूप में है। 'खास कब्जे' के व्यापक वर्गीकरण को भुनाने के लिए पूर्व बिचौलियों ने भी बड़े पैमाने पर अपने किरायेदारों को बेदखल करना शुरू कर दिया। और जिस हद तक उन्हें वास्तव में अपनी पहले की जोत का हिस्सा छोड़ना पड़ा, उन्हें राज्य से अच्छा मुआवजा मिला, विशेष रूप से उनमें से बड़ा और अधिक शक्तिशाली वर्ग। बिहार सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, अनुमानित कुल रुपये में से,1,60 करोड़, पूरे राज्य में 5,22,109 बिचौलियों को अंतिम मुआवजे के रूप में देय, 1970–71 तक कुल रु 1,20,60,04,000 का भुगतान या तो पहले ही कर दिया गया था या भुगतान के लिए तैयार कर दिया गया था।

–: संदर्भ :–

1. ग्रामीण विकास मंत्रालय, 2001, ग्रामीण विकास मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, नई दिल्ली, भारत सरकार।
2. कृषि पर राष्ट्रीय आयोग (एनसीए), 1976, राष्ट्रीय कृषि आयोग, भाग XV, कृषि सुधार, नई दिल्ली, भारत सरकार।
3. नाडकर्णी, एमवी 1976, द टेनेंट्स फ्रॉम द डोमिनेंट क्लास, डेवलपिंग कंट्राडिक्शन इन लैंड रिफॉर्म्स, अर्थव्यवस्था, राजनीति, साप्ताहिक, 11
4. नाडकर्णी, एमवी 2002, भूमि सुधार–एक बस जिसे भारत चूक गया जो शायद फिर कभी न आए, इंडस्ट्रीज़ जे राहत, अर्थव्यवस्था, 57
5. राव, वीएम 1990, गरीबों के लिए भूमिः भूमि सुधार और सामान्य भूमि के उपयोग के लिए एक नीति परिप्रेक्ष्य। ग्रामीण श्रम पर राष्ट्रीय आयोग, भूमि सुधार और सामान्य संपत्ति संसाधन पर अध्ययन समूह, जुलाई, नई दिल्ली, भारत सरकार।
6. राव, वीएम 1992, भूमि सुधार अनुभव : रणनीति और कार्यक्रमों के लिए परिप्रेक्ष्य, अर्थव्यवस्था, राजनीति, साप्ताहिक, 27 जून।
7. शाह जी, और साह, डीसी 2002, भारत में भूमि सुधारः गुजरात और महाराष्ट्र में प्रदर्शन और चुनौतियां, नई दिल्ली, सेज पब्लिकेशन।
8. सिन्हा, बीके और पुष्पेंद्र, 2000, भारत में भूमि सुधार : एक अधूरा एजेंडा, नई दिल्ली, सेज पब्लिकेशन।

*Corresponding Author: अविनाश रंजन